राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड

पशुधन भवन, टोंक रोड़, जयपुर–302015
टेलीफोन नं0 0141–2744445 फैक्स नं. 0141–2742358

क्रमांकः एफ.वी.(13)आरएलडीबी/एपीआर/2013/489 दिनांकः 28.01.2014

:: परिपत्र ::

प्रदेश में कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिये कृत्रिम गर्भाधान तकनीक की प्रमाणिक विधि (Standard/Scientific Protocol) की पालना कर conception Rate व AI coverage को बढ़ाया जा सकता है। अतः कृत्रिम गर्भाधान के दौरान पशुधन विकास हेतु निम्न बिन्दुओं की पालना किया जाना सुनिश्चित करें :–

1. कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रो को स्वच्छ रखते हुए असंक्रमित उपकरणों का उपयोग कर कृत्रिम गर्भाधान की क्रियान्वित करें। सप्ताह में एक बार आवश्यक रूप से AI Gun के पिस्टन व Scissors को गर्म पानी से धोने के पश्चात् air dry करते हुए sanitize किया जाना चाहिए। ताव में आने वाले पशुओं में सही समय पर कृत्रिम गर्भाधान किया जावे।
2. Rectal परीक्षण के उपरान्त ही कृत्रिम गर्भाधान गन (AI Gun) तैयार कर कृत्रिम गर्भाधान की कार्यवाही प्रारम्भ की जावे।
3. सीमन को क्रायोकेन जारो के चिन्हित canisters में रखा जाना सुनिश्चित किया जावे। सीमन को thaw करते समय गर्म व सामान्य स्वच्छ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। फ्रोजन सीमन को canisters में से forceps की मदद से बाहर निकालते हुए सही विधि से thawing procedure के अनुसार कार्य किया जावे।
4. फ्रोजन सीमन स्ट्रा को forceps की मदद से पकड़ने से पूर्व forceps के tips को कुछ सैकण्ड के लिये तरल नत्रजन द्वारा ठण्डा कर उपयोग में लिया जावे।
5. फ्रोजन सीमन स्ट्रा को बाहर निकालने के समय canister को frost line से ऊपर नही ले जाना चाहिए तथा स्ट्रॉ को 10 सैकण्ड के अंदर canister से बाहर निकालने की कार्यवाही पूर्ण की जानी चाहिए।
6. फ्रोजन सीमन स्ट्रा को बाहर निकालने के दौरान स्ट्रा पर excess LN2 को हिलाकर remove करते हुए thawing unit/tray में उपलब्ध पानी के अनुकूलित तापमान (37^0C for cow & 39^0C for buffalo) पर 40 से 45 सैकण्ड के दौरान thawing की कार्यवाही सम्पादित की जानी चाहिए।

लगातार.....2

7. कृत्रिम गर्भाधान गन व शीथ का तापमान लगभग 37^0C होना चाहिए। यह अत्यधिक ठण्डी व गरम नही हो, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। फ्रोजन सीमन स्ट्रा को thawing tray/unit से बाहर निकालकर साफ कपड़े से पौंछ कर कृत्रिम गर्भाधान हेतु उपयोग में लिया जावे।
8. कृत्रिम गर्भाधान किये गये पशु को scurb bull से बचाते हुए कृत्रिम गर्भाधान के पश्चात् 12 से 24 घण्टो के दौरान विशेष निगरानी में रखा जाने हेतु पशुपालको को सलाह दी जावे।
9. यदि ताव के लक्षण अगले 18 से 24 घण्टे के दौरान नजर आते हैं तो कृत्रिम गर्भाधान को पुनः किये जाने हेतु निर्देशित किया जाना चाहिए अथवा 18 से 21 और 36 से 42 दिन के बाद अगले ताव के लक्षण को observe कर निर्णय किया जावे।
10. कृत्रिम गर्भाधान किये गये पशु का 3 महीने के उपरान्त गर्भ परीक्षण किया जाना चाहिए। सम्पूर्ण कृत्रिम गर्भाधान रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित रूप से संधारित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
11. सीमन के उचित भण्डारण हेतु जारो में तरल नत्रजन की उपलब्धता की समय–समय पर जाँच किया जाना सुनिश्चित करें।

मुझे विश्वास है कि कृत्रिम गर्भाधान के दौरान उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए कार्य सम्पादित किये जाने पर न केवल गुणवत्ता में सुधार होगा अपितु सफलता की दर में वृद्धि से पशुपालको को लाभान्वित कर सकेंगे।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

क्रमांकः एफ.वी.(13)आरएलडीबी/एपीआर/2013/490–534 दिनांकः 28.01.2014

प्रतिलिपिः

1. निजी सचिव, अध्यक्ष राज0 पशुधन विकास बोर्ड, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक (उत्पादन), निदेशालय, पशुपालन विभाग, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, (फार्म एवं सम्पदा), निदेशालय, पशुपालन विभाग, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्र), पशुपालन विभाग, राज0।
5. संयुक्त निदेशक (गौशाला/प्रजनन), निदेशालय, पशुपालन विभाग, जयपुर।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, राज0।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी